रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 218] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 18, 2015/श्रावण 27, 1937
No. 218] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 18, 2015/SRAVANA 27, 1937

## उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

## (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2015

सं.1(7)/2015-एस.पी.I-केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिनांक 23 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या 1(5)/2015-एसपी-I के तहत अधिसूचित चीनी मिलों को साफ्ट ऋण प्रदान करने की स्कीम में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

(क) पैरा 2 (ii) के लिए निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

" 2(ii) बैंक केवल उन्हीं चीनी मिलों के ऋण आवेदनों पर विचार करेगा जिन्होंने एफआरपी के आधार पर की गई गणना के अनुसार चालू चीनी मौसम 2014-15 के लिए भुगतान योग्य गन्ना मूल्य का 31-08-2015 तक 50% का भुगतान कर दिया हो।"

(ख) पैरा 2 (viii) के लिए निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"2 (viii) एक बार जब ऋण स्वीकृत हो जाता है और इसके वितरण की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती हैं तो बैंक संबंधित चीनी मिल से किसानों की सूची और उनके बैंक खातों के विवरणों, जिन्होंने बैंकिंग प्रणाली से क्रेडिट सुविधा प्राप्त की हुई है उन किसानों का उधार खाता संख्या तथा ऐसे किसानों, जिन्होंने क्रेडिट सुविधा प्राप्त नहीं की हुई है उनका नियमित बचत खाता या चालू खाता संख्या और एफआरपी के आधार पर परिकलन से भुगतान किए जाने वाले गन्ना देयों के परिमाण के साथ जानकारी प्राप्त करेगा और चीनी मिलों की ओर से आवंटित निधि को किसानों के खातों में सीधे जमा किया जाएगा। इसके बाद बचा हुआ शेष, यदि कोई हो, मिल के खाते में जमा किया जाएगा।"

प्रशांत त्रिवेदी, संयुक्त सचिव

नोट :- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-I खण्ड 1 में संख्या 1(5)/2015-एसपी-I, दिनांक 23 जून, 2015 को प्रकाशित की गई।

## MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

### (Department of Food and Public Distribution)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2015

No.1(7)/2015-S.P.-I.-The Central Government hereby makes the following amendments in the scheme for extending soft loan to sugar mills, notified vide notification number 1(5)/2015-S.P.-I dated 23rd June, 2015, namely;—

(a) For Para 2(ii), the following Para shall be substituted, namely:

" 2(ii) Banks shall consider the loan applications of only those sugar mills which have cleared at least 50 % of the cane price payable for current sugar season 2014-15 calculated on the basis of FRP by 31.08.2015. "

(b) For Para 2(viii), the following Para shall be substituted, namely:

"2(viii) Once the loan is sanctioned and necessary formalities for disbursal are completed, the Bank will obtain from the respective sugar mill the list of farmers along with bank account details, borrowable account numbers of farmers who have availed credit facility from the banking system, and regular saving bank or current account numbers in respect of farmers who have not availed any credit facility, and the extent of cane dues to be paid computed on the basis of FRP and shall directly remit the funds allocated into the accounts of farmers on behalf of the sugar mill. Subsequent balance if any will then be credited into the mill account. "

PRASHANT TRIVEDI, Jt. Secy.

Note: - The Principal Notification was published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I-Section I *vide* number 1(5)/2015- S.P.-I dated the 23rd June, 2015

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.